<u>न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 04</u>
<u>जयपुर महानगर द्वितीय</u>

पीठासीन अधिकारी – पुनीत सोनगरा, RJS
आपराधिक नियमित मुकदमा नम्बर 5286 / 12 (206 / 04)
सी.एन.आर नम्बर 9255 / 2020

राजस्थान राज्य

..... अभियोगी

बनाम

डॉ. सुश्री कंवरदीप रंधावा उर्फ कैनी पुत्री श्री मलकीयतसिंह, उम्र तत्समय 37 साल, जाति जटसिख, निवासी रंधावा हॉस्पिटल, दीपक मार्ग, पुलिस थाना मोती डूंगरी, जयपुर।

..... अभियुक्त।

<u>उपस्थिति</u> :-

1. राजस्थान राज्य की ओर से – विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सत्यप्रकाश शर्मा,
2. परिवादी की ओर से – विद्वान अधिवक्ता शशिबाला जैन एवं श्री कमल किशोर शर्मा
3. अभियुक्त की ओर से – विद्वान अधिवक्तागण सर्वश्री सुनील कुमार शर्मा, सुलेमान, खान, आशीष व्यास, शफक्कत आलम, सुनील यादव

<u>अपराध U/S धारा 336, 337, 338 भा.द.स.</u>

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 24.02.2021</u>

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी मो. इलियास ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसकी पत्नी रेशमा की प्रसूति के लिए उसने अपनी पत्नी को मोती डूंगरी स्थित रंधावा हॉस्पिटल में दिनांक 20.05.2001 को भर्ती करवाया तथा नार्मल डिलीवरी होने का डॉक्टरों द्वारा परिवादी को आश्वासन दिया। दिनांक 21.05.2001 को प्रातः 6 बजे अचानक डॉक्टर ने जाहिर किया कि नार्मल डिलीवरी नहीं हो सकेगी व ऑपरेशन के बिना डिलीवरी कराने से बच्चे के लिए खतरा हो जाएगा, इसलिए ऑपरेशन करना आवश्यक हो गया है। बावजूद इसके डॉ. कैनी ने ऑपरेशन से डिलीवरी नहीं

करवाई, बल्कि नार्मल डिलीवरी के प्रोसेस में उपेक्षा, असावधानी व उतावलेपन से निर्ममता से शिशु को औजारों से खींच कर बाहर निकाला, जिससे शिशु के सिर में चोट आई और उसकी पत्नी के गर्भ में औजारों की चोट लगने से गंभीर रक्तस्राव शुरू हो गया, जो निरन्तर दो दिन तक जारी रहा। शिशु के सिर में औजार की चोट लगने से शिशु मृतप्रायः अवस्था में हो गया। शिशु की गंभीर हालत देखते हुए दिनांक 21 मई, 2001 को प्रातः 11 बजे उसे तुरन्त उनियारा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने शिशु को निर्ममता व लापरवाही से बाहर निकालने व औजारों की चोट पहुंचने के कारण शुशु की ऐसी अवस्था होना बताया। उसकी पत्नी की देखभाल रंधावा अस्पताल में डॉक्टरों ने नहीं की। उसके चाचा को 4 यूनिट खून का इंतजाम करने को कहा तथा कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करवाये। खून उपलब्ध करवाने के बावजूद भी उसकी पत्नी की हालत बिगडती रही और डॉक्टर संभालने में असफल रहे। अपनी पत्नी की बदतर हालत को देखकर उसने दूसरे अस्पताल, राजकीय महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट ले जाने के लिए कहा तो पन्द्रह हजार रूपये लिये, जिसकी कोई रसीद प्रार्थी को डॉक्टरों ने नहीं दी और न ही इलाज से संबंधित कागजात दिये। दिनांक 22.05.2001 को दिन के 12 बजे परिवादी ने अपनी पत्नी को महिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे बताया कि उसकी पत्नी की बच्चेदानी भी निकाल दी गई है, जो कि उसके व उसकी पत्नी के लिए एक हादसा है तथा स्थाई अपंगता की श्रेणी में आता है। बच्चेदानी निकालने की कोई परिस्थिति किसी भी सूरत में डॉक्टर कैनी द्वारा पहले नहीं बतायी गई और ना ही बच्चेदानी निकालने की

सहमति मुझसे डॉक्टरों द्वारा ली गई। रंधावा अस्पताल के डॉक्टर कैनी रंधावा व उनके अन्य सहायकों द्वारा उसकी पत्नी की डिलीवरी करवाने में आपराधिक लापरवाही करके उसकी पत्नी व शिशु के साथ खिलवाड किया, जिनके खिलाफ कार्यवाही की जावे, इत्यादि।

2. उक्त रिपोर्ट पर एफ.आई.आर. नम्बर 91/2001 पुलिस थाना मोतीडूंगरी में दर्ज की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान वर्तमान अभियुक्त डॉ. सुश्री कंवरदीप रंधावा उर्फ कैनी के विरूद्ध धारा 336, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र पेश किया।

3. आरोप पत्र पेश होने पर अभियुक्त को आरोप पत्र की नकल दिलवाई गई तथा अभियुक्त के विरूद्व धारा 336, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता का दण्डनीय अपराध प्रथम दृष्टया पाये जाने पर उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर आपराधिक प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. अभियुक्त को धारा 336, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया–समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही जिस पर पत्रावली साक्ष्य अभियोजन में नियत की गई।

5. दौराने साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू.–1 जरीना, पी.डब्ल्यू.–2 रेशमा, पी.डब्ल्यू.–3 मोहम्मद अयुब, पी.डब्ल्यू.–4 डॉ. शीला कौल, पी.डब्ल्यू.–5 डॉ. संजय प्रकाश कुलश्रेष्ठ, पी.डब्ल्यू.–6 मोहम्मद इलियास, पी.डब्ल्यू.–7 डॉ. एम.आर. गोयल, पी.डब्ल्यू.–8 करणीसिंह, पी.डब्ल्यू.–9 हेमाराम, पी.डब्ल्यू.–10 डॉ. बीना भटनागर

को परिक्षित कराया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी01 लगायत पी03 बच्चे के उपचार का नोट, प्रदर्श पी04 उनियारा हॉस्पिटल का एडमिशन व डिस्चार्ज रिकॉर्ड, प्रदर्श पी05 डॉ. मेहता डायनोस्टिक क्लीनिक की अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट पीडिता/गर्भवती रेशमा, प्रदर्श पी06 चोट प्रतिवेदन श्रीमती रेशमा तथा रेशमा के परीक्षण करने हेतु सहमति, प्रदर्श पी07 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श पी08 प्रथम सूचना रिपोर्ट, सहवन से पुनः प्रदर्श पी08 एक्सरे रिपोर्ट रेशमा, प्रदर्श पी09 चोट प्रतिवेदन, प्रदर्श पी.10 एक्सरे रिपोर्ट, प्रदर्श पी.11 कार्यालय अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर का कार्यालय आदेश, प्रदर्श पी12 मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट, प्रदर्श पी13 सी.टी. स्केन रिपोर्ट को प्रदर्शित कराया गया।

6. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 लेखबद्ध किये गये जिसमें अभियोजन कहानी को गलत बताते हुए कथन किया कि रोगी की जान बचाने के लिए उपचार किया गया, उसकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती गई। अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश करना व्यक्त किया।

7. अभियुक्त की ओर से गवाह डी.डब्ल्यू.–1 डॉ. आदर्श भार्गव, डी.डब्ल्यू. –2 डॉ. रेखा जैन को परिक्षित कराया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी01 पुलिस बयान श्रीमती जरीना, प्रदर्श डी02 पुलिस बयान इलियास, सहवन से पुनः प्रदर्श डी02 पुलिस बयान मोहम्मद अयुब, प्रदर्श डी03 अनुमति, प्रदर्श डी04 रंधावा हॉस्पिटल का उपचार, प्रदर्श डी05 एवडोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी को प्रदर्शित कराया गया।

8. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने लिखित बहस वर्णित

अभिकथनों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि गवाह पी.डब्ल्यू. 4 व पी.डब्ल्यू. 5 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि डिलीवरी करवाने वाले डॉक्टर ने बच्चा पैदा करवाने में कोई लापरवाही नहीं बरती। अभियुक्ता के द्वारा अपना सर्वोत्तम उपचार दिया गया था जिसमें उसके द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही एवं असावधानी नहीं बरती गई। मेडीकल बोर्ड के गवाहान के बयानात से भी अभियुक्ता .द्वारा किसी प्रकार की मेडीकल नेग्लीजेंसी बरती जाने की साक्ष्य नहीं आई है। एम.बी.बी.एस., डी.ओ.जी. अपने आप में स्त्री व प्रसूती रोग विशेषज्ञ इन ऑल माईनर इन ऑल मेजर सर्जरी स्पेशलिस्ट होता है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान में किसी भी गवाह की साक्ष्य से अभियुक्ता द्वारा गर्भवती महिला की डिलीवरी के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाने की साक्ष्य नहीं आई है। डिलीवरी से पूर्व गर्भवती महिला के परिजनों से गर्भवती महिला के स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को बताते हुए अनुमति/सहमति प्राप्त की गई थी। अभियुक्त को मिथ्या मुकदमे मे फंसाये जाने के उद्देश्य से उक्त प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गयी है। अंत में अभियुक्ता को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत 1986 ACJ 696 DR. AJEET KUMAR V/S STATE OF PUNJAB, (2005) 6 SCC JACOB MATHEW V/S STATE OF PUNJAB & OTHER, AIR 2009 SC. 2049 MARTIN F. D'SOUZA V. MOHD. ISHFAQ, 2016 (3) R. Cr. D. 251 (RAJ.) Dr. JAIPRAKASH AND OTHR., 1987 CRI. L.J. 1316 Dr. R.P. DHANDA V. BHURELAL OTHR., 2015 CRI. L.J. 1777 Dr. MARRYKUTTY AND ANOTHER V. STATE OF KERALA, 1998 CRI. L. J. 1005 Dr. BHASKAR ACHARYA AND OTHR. V. CHANDRASHEKHAR SHERVERGAR, 1998 CRI. L. J. 2493 Dr. S.D. KHETANI V. STATE OF RAJASTHAN, 2012(1) Cr. L.R. (RAJ.) 181] N.K. AGRAWAL (DR.) V. STATE OF RAJASTHAN, 2008 (2) R.L.W. 1766 (RAJ.) SARITA UPNEJA (DR.)

(SMT.) V. STATE OF RAJASTHAN & OTHRS., 2017 (14) SCC. 571 JAISHREE UJAWAL INGOLE V. STATE OF MAHARASHTRA., 2017(1) R.Cr. D. 170 (RAJ.) Dr. RAJKUMARI JAIN & OTHER. V. STATE OF RAJASTHAN & OTHER., 2000 CRI. L.J. 3682 Dr. GOPINATH PILLAI T.M., V. STATE OF KERALA., (2005) 5 SCC. 272 RAJARAM V. STATE OF RAJASTHAN , (2010) 3 SCC. 538 JAVED MASOOD AND OTHER V. STATE OF RAJASTHAN, (2011) 14 SCC. 448 ASSOO V. STATE OF M.P., AIR 1973 SC. 501 THULIA KALI V. STATE OF TAMILNADU, 1973 Cr.L.R. (SC.) 628 HARCHAND SINGH & OTHER V. STATE OF HARIYANA. पेश किए।

9. अधिवक्ता परिवादी ने लिखित बहस वर्णित अभिकथनों पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि डॉक्टर रंधावा द्वारा पीड़िता/गर्भवती महिला की जानबूझकर मेडीकल प्रक्रिया का उल्लंघन कर घोर लापरवाही करते हुए डिलीवरी करवाई गई। डॉक्टर कंवरदीप रंधावा ने लापरवाही एवं उतावलेपन में खतरनाक औजारों का प्रयोग करके जबरन शिशु को खींचा जाकर डिलीवरी करवाई है, जिससे नवजात शिशु के सिर में तथा ललाट पर गंभीर चोट आई है। डॉक्टर कंवरदीप रंधावा को इस तथ्य का ज्ञान पूर्व से था कि पीड़िता/गर्भवती महिला रेशमा का पूर्व प्रसव सिजेरियन था जिसके टांके डॉक्टर कंवरदीप रंधावा के अनुसार हल्के थे, ऐसी स्थिति में भी उनके द्वारा सिजेरीयन डिलीवरी न कर शिशु को आउटलेट फोरसेप्स से लापरवाहीपूर्वक जबरदस्ती खींचकर प्रसव करवाने में चोट कारित की गई एवं सिन्टो ओक्सिटोसिन ओवरडोज का इंजेक्शन लगाने के दुष्परिणाम के परिणामस्वरूप ही बच्चे ने मॉ के पेट में दम घुटने के कारण लेट्रिन कर दी। नवजात शिशु के माथे पर भौंह के पास यांत्रिक उपकरण के लापरवाही उपयोग से चोट आना दस्तावेजी साक्ष्य एवं गवाहान के बयानात से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। डॉक्टर कंवरदीप रंधावा के पास सर्जरी कराने हेतु

प्रोफेशनल शैक्षणिक योग्यता मास्टर ऑफ सर्जरी नहीं थी, इसी के कारण उनके द्वारा पीड़िता गर्भवती महिला की डिलीवरी सीजेरियन न कर शिशु को लापरवाहीपूर्वक चिमटेनुमा औजारों से खींचकर शिशु व पीड़िता महिला की बच्चेदानी को क्षति पहुंचाई तथा पीड़िता की बच्चेदानी पीड़िता व उसके परिजनों को बिना बताए लापरवाहीपूर्वक निकाल दी जिसके कारण पीड़िता भविष्य में कभी मां नहीं बन सकती। अंत में अभियुक्ता को दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया एवं अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत B.L. UDAY KUMAR V/S STATE OF KARNATAKA HIGH COURT OF KARNATAKA ORDER DATE 23-07-2018, ASIAN RESURFACING OF ROADAGENCY PVT. LTD. VERSES CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION SUPREME COURT OF INDIA MISSC. APPL. NO. 1577/20, RAVI RAI V/S MEDICAL COUNCIL OF MEDIASOTE IN THE HIGH COURT OF DELHI JUDGEMENT RESEVED 10-04-2018 पेश किए।

10. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अधिवक्ता परिवादी के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन का मामला युक्ति युक्त संदेह से परे साबित होना जाहिर करते हुए अभियुक्ता को दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया है।

11. न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुना, पत्रावली तथा उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न अवधारणीय प्रश्न हैः–

"आया अभियुक्ता द्वारा दिनांक 21.05.2001 को किसी

समय परिवादी मोहम्मद इलियास की पत्नी श्रीमती रेशमा का प्रसव उपेक्षा, लापरवाहीपूर्वक एवं उतावलेपन से करवाकर रेशमा के नवजात शिशु को चिमटेनुमा उपकरण (आउटलेट फोरसिप्स) से अत्यधिक दबाकर खींच निकालने से श्रीमती रेशमा के नवजात शिशु के भौंह के पास गंभीर चोट कारित कर मॉ व बच्चे दोनों की जान को जान–बूझकर खतरे में डालने का कार्य किया एवं परिवादिया की पत्नी रेशमा एवं परिवादी की बिना अनुमति के बच्चेदानी निकाल कर स्थायी अपंगता कारित की। रेशमा के बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी क्वाड्रिप्लेजिआ नामक बीमारी एवं नवजात शिशु को गंभीर दिमागी चोट लगी। जिसके कारण परिवादी की पत्नी रेशमा एवं उसके नवजात शिशु के मानव जीवन को व्यक्तिक क्षेम संकटापन्न कर परिवादिया एवं उसके शिशु को साधारण एवं गंभीर उपहतियां कारित हुई ?

यदि ऐसा है तो वह उक्त अपराध के लिए किस दण्ड से दंडित होने योग्य है ?

12. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर धारा 336, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता के दण्डनीय अपराध से संबंधित आक्षेप अधिरोपित है। अभियोजन पक्ष की ओर से गर्भवती/पीडिता रेशमा के साथ डिलीवरी के समय रंधावा हॉस्पिटल में उपस्थित गवाह जरीना को पी0डब्ल्यू01 के रूप में परीक्षित करवाया गया है। इस गवाह ने अपने सशपथ बयानों में जाहिर किया है कि वह बर–वक्त डिलीवरी दिनांक 20.05.

2001 को गर्भवती रेशमा के साथ मौके पर उपस्थित थी और डिलेवरी डॉक्टर केनी द्वारा हॉस्पिटल में भर्ती कर दी गई और यह जाहिर किया गया था कि डिलीवरी सही हो जाएगी। उक्त अस्पताल में बहू का ईलाज एक महीने तक चला था। डॉक्टर द्वारा मंगवाई गई सारी दवाइयां उनके द्वारा लाकर दे दी गई थी। समय करीब दस बजे डॉक्टर ने कहा कि बच्चा होने वाला है, उसके पश्चात् बच्चा नॉर्मल हो गया। बच्चे की डिलीवरी के पश्चात् बच्चे के नहीं रोने पर उसे उनियारा अस्पताल भेजा गया तथा रेशमा रंधावा हॉस्पिटल में रही। डिलीवरी के पश्चात् उसे रेशमा से नहीं मिलने दिया तथा रेशमा के लिए चाय, दूध एवं बिस्कुट लाने के लिए कहा गया, जब वह सामान लेकर आई तो रेशमा के लिए खून का इंतजाम करने के लिए कहा गया एवं कई तरह की दवाइयां मंगवाई गई। चूंकि मौके पर घर का कोई आदमी उपस्थित नहीं था, इसलिए उसके द्वारा फोन करके अपने भाई को बुलाया गया, तदोपरान्त रिश्तेदारों द्वारा दस यूनिट खून दिया गया, जिसके कारण रेशमा की जान बची। इसके पश्चात् भी रेशमा से उन्हें मिलने नहीं दिया। जब रेशमा को बेड पर शिफ्ट कर दिया गया, तब भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर को कहने पर उनके .द्वारा संभाला गया और ईलाज के लिए संभालने के लिए कहने पर पन्द्रह हजार रूपये जमा करवाने के लिए कहा गया। पन्द्रह हजार रूपये जमा करवाने के बाद ही आगे के ईलाज के लिए कहा गया। तदोपरान्त दिन के 11 से 12 बजे के बीच में रेशमा को महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट लेकर गये, जहां पर डॉक्टरों ने बताया कि मरीज की बच्चेदानी निकाल दी गई है एवं उसकी हालत सीरियस है। बच्चेदानी निकालने बाबत् उनको जानकारी नहीं थी। गवाह प्रतिपरीक्षा

में यह कथन करती है कि उनके द्वारा रेशमा को जनाना हॉस्पिटल जबर्दस्ती लेकर आये थे। डॉक्टर रंधावा द्वारा उसे रेफर नहीं किया गया था। जहां पर रंधावा अस्पताल के ईलाज के समस्त पर्ची एवं उपचार के कागजात लेकर गये थे। रेशमा के ईलाज के दौरान भिन्न–भिन्न अस्पतालों में दिखाया था। गवाह यह भी जाहिर करती है कि प्रदर्श पी01 में डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन से बच्चा होने वाली बात उनको नहीं बतायी गयी थी। साथ ही इस तथ्य को स्वीकार करती है कि डॉक्टर द्वारा नॉर्मल डिलीवरी करवाने की कोशिश की बात बतायी गयी थी और यह जाहिर किया गया कि पेट में गंदगी चली गई थी, जिस पर उनके द्वारा ऑपरेशन करने के लिए सहमति दी गई थी और आगे यह भी कहा गया कि आपको जहां ठीक लगे, वहां करा लो। डॉक्टर द्वारा उन्हें नॉर्मल बच्चे होने के लिए कहा गया था। गवाह के पुलिस बयानों एवं न्यायालय में लेखबद्ध किये गये बयानों में भिन्नता है। परन्तु गवाह द्वारा प्रत्येक स्तर पर समस्त जानकारी पुलिस बयान के दौरान दिया जाना जाहिर किया है।

13. हस्तगत प्रकरण की पीडिता/गर्भवती महिला, जिसकी रंधावा हॉस्पिटल में डिलीवरी की गई वह रेशमा है, जिसे अभियोजन की ओर से पी0डब्ल्यू02 के रूप में परीक्षित करवाया गया है। इस साक्षी के .द्वारा अपने सशपथ बयानों में कथन किया गया है कि दिनांक 08.05.2001 को उसने स्वयं को डॉक्टर कैनी को डिलीवरी बाबत् दिखाया, जिसके द्वारा यह जाहिर किय गया कि बच्चा नॉर्मल है। दिनांक 20.05.2001 को उसके पति द्वारा रंधावा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। जहां पर मुलजिमा द्वारा उसे भर्ती कर लिया गया और यह कहा कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। सुबह उसको दर्द धीमे होने पर

डॉक्टर ने उतावलेपन में बच्चे को औजारों से निकाला, जिससे वह और बच्चा बेहोश हो गये और बच्चा रोया नहीं, उसे होश आने पर स्वयं को महिला चिकित्सालय में पाया, जहां उसे पता चला कि उसकी बच्चेदानी निकाल दी गई थी और उसका बच्चा उनियारा अस्पताल में भर्ती है। गवाह इस तथ्य को स्वीकार करती है कि वर्ष 1998 में उसके एक बच्चा महिला चिकित्सालय में ऑपरेशन से पैदा हुआ था, जो पेट काटकर पैदा हुआ था, जिसके उपरान्त वह एक सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रही थी। गवाह के अनुसार वह डॉक्टर के पास पहली डिलीवरी के कागजात लेकर नहीं गई थी, लेकिन उन्हें यह बता दिया था कि पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ है। दिनांक 20.05.2001 को 10 बजे से दर्द शुरू हो गया था। डॉक्टर द्वारा पहले ऑपरेशन से बच्चा होना जाहिर किया गय था, फिर नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करती रही। डॉक्टर द्वारा उसे रात को ही इंजेक्शन लगा दिये गये थे। बच्चा होने के बाद और जोर से ब्लीडिंग (रक्तस्राव) शुरू हो गया था, जिससे वह बेहोश हो गयी। डॉक्टर ने उसे धीरज रखने के लिए कहा था। गवाह का यह कथन रहा कि उसने डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए कहा था, फिर भी डॉक्टर ने उसकी बात नहीं सुनी। गवाह यह भी कथन करती है कि डॉक्टर केनी द्वारा उसका ऑपरेशन किया गया था। डॉक्टर द्वारा उसे सिजेरियन डिलीवरी करने के लिए नहीं पूछा गया था। गवाह के बयानात से यह स्पष्ट है कि गवाह डिलीवरी के दौरान बेहोश हो गई थी, तदोपरान्त गवाह/पीडिता को उसकी बच्चेदानी निकालने के बाबत् कोई जानकारी नहीं दी गई। साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि उससे इस बाबत् कोई पूछताछ भी नहीं की गई है। उक्त गवाह के बयानों का अवलोकन

किया जावे तो ऑपरेशन से बच्चे की डिलीवरी करवाये जाने बाबत् भी कहा गया था, लेकिन डॉक्टर कंवरदीप रंधावा द्वारा नॉर्मल डिलीवरी करवाये जाने का प्रयास किया जाता रहा।

14. पी0डब्ल्यू03 मोहम्मद अयुब ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 20.05.2001 को रेशमा को रंधावा हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए भर्ती करवाया गया था। दिनांक 21.05.2001 को डॉक्टर ने डिलीवरी के बाबत् जानकारी दी और यह जाहिर किया कि रेशमा की डिलीवरी ऑपरेशन से होगी और यह कहा कि वह कोशिश करेगी कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। करीब 12 बजे डॉक्टर द्वारा लडका होने की जानकारी दी गई और यह नहीं बताया गया कि डिलीवरी किस प्रकार हुई है एवं बच्चे को उनियारा हॉस्पिटल ले जाने को कहा गया, जिस पर हमारे द्वारा बच्चे को उनियारा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। उनियारा अस्पताल के द्वारा बच्चे की हालत सीरियस होना बताया गया था। बच्चा उस वक्त बेहोश था। तदोपरान्त उन्हें रंधावा अस्पताल से फोन आया, जहां उनसे चार यूनिट खून मंगवाया गया। हमारे पूछने पर यह जाहिर किया गया कि ऑपरेशन करना पडेगा, लेकिन ऑपरेशन किस बात का करना पडेगा, यह नहीं बताया गया। डॉक्टर पन्द्रह हजार रूपये जमा करवाने की बात करने लगे, रूपये नहीं होने पर रूपये अगले दिन देने को कहा गया। अगले दिन सुबह अस्पताल जाने पर रेशमा बेहोश थी, जिसे आवाज देकर जगाया गया। हमें परिजनों ने बताया कि रेशमा को रात को डॉक्टरों से संभाला नहीं, तब डॉक्टर ने कहा कि रूपये पूरे नहीं दिये है। इस बात पर डॉक्टर से कहासुनी हो गई। डॉक्टर द्वारा डिस्चार्ज टिकिट बनाने के लिए कहा गया, जिस पर हमारे द्वारा सारे कागजात डॉक्टर को दिये गये और

डॉक्टर ने सारी पर्ची हमारे सामने फाड दी। हम परिचित से 9,000/–रूपये उधार लेकर आये और हॉस्पिटल में जमा करवाये गये, जिसकी कोई रसीद हमें हॉस्पिटल से नहीं दी गई, जिसके पश्चात् रेशमा को सांगानेरी गेट सरकारी अस्पताल लेकर गये, तब डॉक्टर ने बताया कि रेशमा की बच्चेदानी निकाल दी गई है। रेशमा की बच्चेदानी डॉक्टर ने हमारी अनुमति के वगैर निकाल दी। उनियारा अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा यह बताया गया कि बच्चे को औजारों से पकडकर खींचा गया है, इसलिए बच्चे के सिर में चोट आई है। जिस कागज पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे, वह प्रिन्टेड था, वह कागज हिन्दी में नहीं था, अंग्रेजी में था। अंग्रेजी में होने से वह पढ नहीं पाया, यदि हिन्दी में होता तो वह पढ लेता। ऑपरेशन होने के पश्चात् ही उसके द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। गवाह द्वारा प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से इंकार किया गया है कि उसके द्वारा प्रदर्श डी03 के ए से बी भाग पर ऑपरेशन से पहले हस्ताक्षर किये गये हो। गवाह इस बात पर अडिंग रहा है कि उसके द्वारा दस्तावेज पर ऑपरेशन के पश्चात् ही हस्ताक्षर किये गये थे। गवाह यह भी कथन करता है कि डॉक्टर ने उन्हें नहीं बताया था कि डिलीवरी किस प्रकार हुई है। साथ ही यह भी जाहिर किया कि ऑपरेशन का एक ही कमरा था तथा उसके द्वारा एक ही नर्स को देखा गया था। वहां पर बेहोश करने वाला डॉक्टर आया था एवं उनके द्वारा केवल डॉक्टर रंधावा को ही उस वक्त देखा गया था एवं अन्य डॉक्टर को नहीं देखा गया था।

15. हस्तगत प्रकरण की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी07 परिवादी/गवाह मोहम्मद इलियास के द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो कि प्रकरण की

पीडिता/गर्भवती महिला रेशमा का पति है। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पी0डब्ल्यू06 के रूप में परीक्षित करवाया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि उसके द्वारा 5 मई, 2001 को अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए रंधावा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, जहां डॉक्टर केनी रंधावा थी, जिसके द्वारा नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंजेक्शन लगाये गये थे। सुबह डॉक्टर द्वारा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाने का कथन किया एवं ऑपरेशन से डिलीवरी करवाना जाहिर किया, जिसके लिए उसने अपनी सहमति दे दी और यह कहा कि जैसा आप ठीक समझे, वही करे। इसके पश्चात् भी डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन से डिलीवरी नहीं करवाई गई और नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही प्रयास करती रही एवं केस को बिगाड दिया और औजारों द्वारा नवजात शिशु को खींचने के कारण नवजात शिशु को चोट आई एवं उसकी पत्नी को भंयकर रक्तस्राव शुरू हो गया। डिलीवरी के पश्चात् बच्चे को उनियारा हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा गया। बच्चे की हालत गंभीर थी, उसे दौरे आ रहे थे, जिसे उनियारा अस्पताल के इमरजेन्सी यूनिट में भर्ती करवाया गया। हॉस्पिटल में उसे यह बताया गया कि औजारों से चोट लगने के कारण बच्चे की हालत इतनी खराब हुई है। रक्तस्राव के कारण उसकी पत्नी रेशमा की स्थिति बिगडती रही एवं निरन्तर खून का इंतजाम करने के लिए कहा जाता रहा। उसकी पत्नी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अगले दिन दिनांक 22.05.2001 को सुबह डॉक्टर से उसने अपनी पत्नी रेशमा को सरकारी अस्पताल महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट रेफर करने के लिए कहा और जिस पर डॉक्टर द्वारा उससे पन्द्रह हजार रूपये की मांग की और कहा कि

बिना पैसे दिये मरीज को यहां से नहीं ले जा सकते, जिस पर उसके चाचा ने पन्द्रह हजार रूपये दिये, जिसकी रसीद देने के लिए मना कर दिया। उसकी पत्नी रेशमा को 12 बजे सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां पर रेफर टिकिट के बारे में पूछने पर गवाह द्वारा रंधावा हॉस्पिटल से कोई कागज नहीं दिये जाने बाबत् कथन किया। जिस पर महिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने उसके एवं उसकी पत्नी के सहमति बाबत् हस्ताक्षर लिये और यह जाहिर किया कि उसकी पत्नी की हालत चिन्ताजनक है, उसकी जान भी जा सकती थी। उसी समय उसकी पत्नी की बच्चेदानी निकाले जाने की जानकारी भी दी गई, जिसकी अनुमति डॉक्टर द्वारा उससे नहीं ली गई थी, जिसके कारण उसकी पत्नी स्थायी रूप से अपंग हो गई एवं भविष्य में कभी मां नहीं बन सकती है। बच्चा भी पूरी तरह से अपंग हो गया, जो बोल नहीं सकता, उठ–बैठ भी नहीं सकता। गवाह प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार करता है कि डॉक्टर कमला अरोडा को पत्नी रेशमा को दिखाया था, तब डॉक्टर कमला अरोडा द्वारा यह बताया गया कि क्योंकि उसकी पत्नी की पूर्व डिलीवरी सिजेरियन ऑपरेशन से हुई है, जिसके अंदरूनी टांके लगे है, जो कि बहुत पतले है। साथ ही यह भी बताया गया कि बच्चे का साइज ओवरी में बडा है। उक्त समस्त डॉक्टरों को सैकिण्डरी ऑपिनियन के कारण दिखाया गया था। गवाह यह भी जाहिर करता है कि उसे डॉक्टर केनी रंधावा द्वारा नॉर्मल डिलीवरी के चान्सेज कम होने की जानकारी दी गई थी, इसके बावजूद भी उसके द्वारा नॉर्मल डिलीवरी के प्रयास करते रहने का ही दबाव बनाया। गवाह यह भी स्वीकार करता है कि दिनांक 08.05.2001 को डॉक्टर केनी रंधावा द्वारा यह जानकारी दी

गई थी कि उसकी पत्नी की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। गवाह प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार करता है कि उनियारा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने यह जानकारी दी थी कि मां के पेट में बच्चे ने लेट्रिंग कर दी थी, इसलिए सांस में परेशानी हो रही है।

16. उक्त समस्त गवाहान पीडिता/गर्भवती रेशमा के परिजन हैं, जो बर–वक्त डिलीवरी मौके पर उपस्थित थे। उक्त समस्त गवाहान की साक्ष्य से यह जाहिर होता है कि किसी भी गवाह को डिलीवरी किस प्रकार से करवायी जा रही है, इस संदर्भ में कोई भी स्पष्ट सूचना नहीं दी गई थी। सभी गवाहान अपनी साक्ष्य में यह जाहिर करते हैं कि डॉक्टर रंधावा द्वारा नॉर्मल डिलीवरी करवाये जाने का निरन्तर प्रयास किया जाता रहा, जबकि स्वयं पीडिता रेशमा द्वारा ऑपरेशन से डिलीवरी करवाये जाने के संदर्भ में अपनी सहमति दे दी गई थी। यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि अभियुक्ता कंवरदीप रंधावा की प्रोफेशनल योग्यता एम.बी.बी.एस. और डी.जी.ओ. है, अभियुक्ता के पास मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री नहीं है, जो कि मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया के अनुसार सर्जरी करने के लिए आवश्यक होती है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त कंवरदीप रंधावा द्वारा ऑपरेशन के जरिये डिलीवरी नहीं करवायी जा सकती थी।

17. बचाव पक्ष के अधिवक्ता का दौराने बहस मुख्य तर्क यह रहा कि पीडिता/ गर्भवती के परिवारजन की ओर से प्रत्येक स्तर पर नॉर्मल डिलीवरी के लिए दबाव बनाया गया था, जबकि उनको इस तथ्य से अवगत करवाया गया था कि गर्भवती रेशमा का पूर्व प्रसव में आये टांके कमजोर होने के कारण उनकी नॉर्मल डिलीवरी की संभावना

बहुत क्षीण है। अधिवक्ता अभियुक्त के उक्त तर्क के संबंध में गवाहान के बयानात का अवलोकन किया जावे तो यह जाहिर आता है कि डॉक्टरी केनी रंधावा की देखरेख में पीडिता/गर्भवती महिला रेशमा डिलीवरी के समय पूर्व से थी एवं पीडिता द्वारा अपने पूर्व प्रसव की जानकारी डॉक्टर को दी गई थी, लेकिन डॉक्टर केनी रंधावा इस बात को लेकर निश्चित थी कि पीडिता/गर्भवती महिला रेशमा का प्रसव केवल ऑपरेशन से ही संभव है तो उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी करवाये जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए था, चाहे गर्भवती महिला के परिजन इस बाबत् उन पर कितना भी दबाव बनाये, क्योंकि चिकित्सक का एक नोबल प्रोफेशन है और डॉक्टर से आशा की जाती है कि वह किसी भी दबाव में नहीं आकर मरीज/पीडित का स्वयं के क्षमताओं का उपयोग कर सर्वश्रेष्ठ उपचार प्रदान करे। अभियुक्ता डॉक्टर रंधावा को स्वयं इस तथ्य की जानती थी कि उसके पास सर्जरी बाबत् शैक्षणिक योग्यता नहीं है, इसके पश्चात् भी पीडिता/गर्भवती की मेडिकल हिस्ट्री को नजरअंदाज करते हुए उसका निरन्तर ईलाज किया जाता रहा एवं नार्मल डिलीवरी के प्रयास निरन्तर किये गये। इस प्रकार अधिवक्ता अभियुक्त का नॉर्मल डिलीवरी किये जाने बाबत् दवाब बनाये जाने का तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

18. उपरोक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह पी0डब्ल्यू04 डॉ. शीला कौल उनियारा अस्पताल की कार्यरत डॉक्टर है, जिनके द्वारा अपनी सशपथ साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 21.05.2001 को 11.45 ए.एम. पर एक नवजात शिशु को डॉक्टर रंधावा के हॉस्पिटल से रेफर कर उनियारा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया

था, तत्समय बच्चे की हालत सीरियस थी, उसे सांस लेने में तकलीफ थी, बच्चा बेहोश था एवं उसे दौरे आ रहे थे। उक्त गवाह की प्रतिपरीक्षा के अनुसार डॉक्टर रंधावा एम.एस. एवं डी.जी.ओ. डिग्री रखती है, जो कि पर्याप्त योग्यता है। गवाह के अनुसार उक्त डिग्री रखने के आधार पर डॉक्टर रंधावा एक एक्सपर्ट डॉक्टर है। गवाह का यह कथन रहा है कि मां के पेट में लेट्रिंग निकल जाए तो बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है, जो बच्चा भर्ती हुआ था, उसमें यही तकलीफ थी।

19. गवाह डॉ. संजय प्रकाश कुलश्रेष्ठ भी उनियारा हॉस्पिटल के चिकित्सक है, जिन्हें अभियोजन पक्ष की ओर से पी0डब्ल्यू05 के रूप में परीक्षित करवया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयानों में गवह पी0डब्ल्यू04 डॉ. शीला कौल के बयानों की पुनरावृत्ति करते हुए जाहिर किया है कि दिनांक 21.05.2001 को डॉक्टर रंधावा द्वारा एक शिशु को रेफर किया गया था, जिसे भर्ती के समय सांस लेने में परेशानी हो रही थी, दौरे आ रहे थे एवं बच्चा बेहोश था। डिलीवरी कॉम्पलीकेशन के कारण बच्चे को उक्त परेशानी हुई थी। गवाह का यह कथन रहा है कि मां के पेट में लेट्रिंग निकल जाए तो बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है, जो बच्चा भर्ती हुआ था, उसमें यही तकलीफ थी। यद्यपि इस गवाह ने इस तथ्य को भी व्यक्त किया है कि डिलीवरी करवाने वाले डॉक्टर की लापरवाही के कारण बच्चे को इस तरह की परेशानी नहीं हुई।

20. पी0डब्ल्यू08 करणीसिंह ने अपने सशपथ बयानों में व्यक्त किया है कि वह एस.एच.ओ. के पद पर कार्यरत था और उसके द्वारा प्रकरण में

तफ्तीश की गई। उसने चोटों का मुआयना करवाया व बच्चा एवं पीडिता के मुआयना के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था। दौराने अनुसंधान उसका तबादला होने के कारण पत्रावली करणसिंह ए.एस.आई. को देकर चला गया था। गवाह प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करता है कि उसके द्वारा किसी भी मेडिकल बोर्ड के सदस्य के बयान नहीं लिये गये थे, क्योंकि मेडिकल बोर्ड की राय ली गई थी, इसलिए उसके द्वारा किसी भी एक्सपर्ट के बयान नहीं लिये गये थे।

21. पी0डब्ल्यू09 हेमाराम मुख्य परीक्षा में यह जाहिर करता है कि वह मोती डूंगरी थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था और करणसिंह ए.एस.आई. से बाद अनुसंधान उसे पत्रावली प्राप्त हुई, जिस पर उसके द्वारा मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई राय के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर मुलजिमा के विरूद्ध धारा 336, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता में चालान पेश किया गया। गवाह द्वारा प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया गया कि डॉक्टर कंवरदीप रंधावा एम.बी. बी.एस. डॉक्टर है।

22. गवाह डॉ. बीना भटनागर मेडिकल बोर्ड की सदस्य है, जिसे अभियोजन की ओर से पी0डब्ल्यू010 के रूप में परीक्षित करवाया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयानों में व्यक्त किया है कि दिनांक 29.05.2001 को वह महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट पर प्रोफेसर एण्ड यूनिट हैड के पद पर कार्यरत थी। उक्त दिवस इमरजेंसी में एक पेशेन्ट भर्ती हुई, जिसका नाम रेशमा था। उक्त केस हमारे पास मेडिकल ज्यूरिष्ट के जरिये आया था, जि पर एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया, जिसमें डॉ. एम.आर. गोयल, डॉ. बीना भटनागर, डॉ.

उषा आचार्य सदस्य थीं। हमारे साथ डॉ. राजवीय आर्य भी थे। उस महिला के एटोनी पी पी एच के लिए बसटोटल हिस्टेक्टमी की गई थी। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दी थी। ये एटोनी पीपीएच जब मेडिकल कन्जर्वेटिव ट्रीटमेन्ट से कंट्रोल नहीं होता है तो सब टोटल हिस्टेक्टमी मरीज की जान बचाने के लिए की जाती है जो इस केस में भी जान बचाने के लिए की गई, जो बाहर किसी अस्पताल से होकर आयी थी। हमारे अस्पताल में भी उसे कन्जर्वेटिव ट्रीटमेन्ट दिया गया, जिससे वो ठीक हो गई और डिस्चार्ज हो गई। बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट प्रदर्श पी06 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी06 दो शीट में है। इनका बच्चा उनियारा अस्पताल में भर्ती था, जिसे देखने बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ उनियारा अस्पताल गई। देखने में बच्चा नार्मल लग रहा था, परन्तु उसके माथे पर एक हल्का सा निशान था। यह निशान फोरसेप्स का था, जो कि डिलीवरी प्रोसेस में आने की संभावना रहती है। बच्चे को देखने पर प्रथम दृष्ट्या कोई डिलीवरी इंजरी जैसी चीज नजर नहीं आई। बच्चे की जॉच कर हमारे द्वारा रिपार्ट तैयार की गई, जो प्रदर्श पी09 है, जिस पर एक्स स्थान पर बच्चे के फुट मार्क्स है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। रेशमा की महिला चिकित्सालय में भर्ती के दौरान की अल्ट्रा सोनोग्राफी फोरपेल्विस प्रदर्श पी08 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। रेशमा के बच्चे का सीटी स्केन करवाया था, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी10 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। हमारे द्व ारा एस पी सिटी साउथ को एसएचओ पी एस मोतीडूंगरी .द्वारा पूछे गए सवालों का बिन्दुवार जवाब दिया गया। रिप्लाई प्रदर्श पी12 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। बच्चे को देखने पर कोई सीरियस इंजरी नहीं लगी थी। इस गवाह ने ए.पी.पी. द्वारा पूछे गये प्रश्न पर यह

जाहिर किया है कि वह बच्चे की डॉक्टर नहीं होने के कारण यह नहीं बता सकती कि बच्चे को क्षति से लगवाग्रस्त होने एवं जीवन के लिए संकटापन्न होने की राय नहीं दे सकती।

23. मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में अन्य गवाह डॉ. एम.आर. गोयल, विभागाध्यक्ष फोरेन्स मेडिसिन एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर को पी0डब्ल्यू07 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिनके द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षण में गवाह पी0डब्ल्यू010 बीना भटनागर के कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए जाहिर किया है कि साईस यह इंगित करते हैं कि बेबी रेशना को हैड इंजरी हुई थी, जो कि दाहिने ऑक्सीपीटल रीजन मिडलाईन एवं इन्टरहेमेस्पीकल शव डयूटल हेमेटोमा था, जिस कारण यह चोट गंभीर थी और लाईफ के लिय भी इनडेन्जस थी, जो कि मैकेनिकल डिवाईस या प्रोलोनड ओक्टेक्ट्रक लेवर के कारण थी। पी0डब्ल्यू07 डॉ. एम.आर. गोयल द्वारा अपनी सशपथ साक्ष्य में यह भी जाहिर किया है कि सुबह 10.56 बजे रंधावा हॉस्पिटल जयपुर पर फोर्ससेज डिलीवरी की मदद से मेल बच्चा पैदा हुआ एवं मिकोनियम प्रेजेन्ट होने के कारण बच्चे को उनियारा अस्पताल रेफर कर दिया गया। गवाह के सशपथ साक्ष्य के अनुसार नवजात शिशु के राईट फोर हैड में फोसप्स के निशान के अलावा इसके शरीर पर बाहरी तौर पर कोई सोफ्ट इश्यू नहीं थी। गवाह के अनुसार बच्चे के ब्रेन एवं चेष्ट का एक्सरे नॉमर्ल था एवं दिनांक 29.05.2001 को मेडिकल बोर्ड द्वारा किये गये परीक्षण के अनुसार बच्चे के एक रगड चोट, जिसमें खरूट जमा हुआ था, जो सामने ललाट पर दाहिनी ओर भौंह के बाहर से ऊपर की ओर जा रहा था। उक्त चोट के बाबत् साईन्स इस बात को इंगित करती है कि बेबी रेशमा को हैड इन्जरी (सब ट्मोबल

हिमीटोया) हुई। इन राईट आम्पीपीटल रिजन एण्ड इन मिडलाईन एक्सेनटींग अलोन विद इन्टर हेमिमिफलीबल फियर, जो कि गंभीर चोट थी।

24. बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह गवाह डी0डब्ल्यू01 डॉ. आदर्श भार्गव ने अपने सशपथ बयानों में व्यक्त किया है कि वह एम.बी.बी.एस. एम.एस. स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ है, जो कि एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। वह डिलीवरी के विषय में एक्सपर्ट है। वह डॉक्टर कंवरदीप रंधावा को अच्छे से जानता है, जो कि ऑब्स्ट्रेटिक एण्ड गायनी की एक्सपर्ट है, जो कि एम.बी.बी.एस. डी.जी.ओ. है। डी.जी.ओ डिपलॉमा इन ऑब्स्ट्रेटिक एण्ड गायनी होता है। उक्त गवाह यह जाहिर करता है कि प्रदर्श डी04 देखकर कहा कि रेशमा के टिकिट के अनुसार जब यह आई थी तब बताया गया था कि पीडिता रेशमा की डिलीवरी नॉर्मल या सिजेरियन होने बाबत् बताया गया था और उसको यह विकल्प दिया गया था कि वह डिलीवरी कहीं भी करवा सकती है, परन्तु उसके परिजनों द्वारा उसे ले जाने से मना कर दिया और उन्हें दो यूनिट ब्लड अरेंज करने के लिए बोला गया तो भी उन्होंने मना कर दिया। 10 बजे से 10.20 के बीच में मेम्ब्रेन (रबचर) हुआ था एवं पानी की थैली जब रबचर हुआ तो उसमें स्टूल (लेट्रिंग) थी और बच्चेदानी का मुंह पूरा खुल गया था। बच्चे की धडकन में कमी आती जा रही थी, इसलिए टिकिट के अनुसार डिसीजन लेना पडा कि आउटलेट फोरसिप से बच्चे को निकाला गया। और यदि बच्चे को नहीं निकाला जाता तो बच्चा अंदर ही मर जाता। आउटलेट फोरसिप से बच्चा जिन्दा बाहर निकला था एवं बच्चे को रिबाइब करने के लिए जो भी किया जाना था, किया

गया। बच्चा होने के बाद बच्चेदानी सिकुडी नहीं, जो कि सामान्यता सिकूडती है, इसलिए स्टेण्डर्ड टिटमेन्ट दिया गया, फिर भी बच्चेदानी नहीं सिकूडी और रक्तस्राव होता रहा, जिसके कारण मरीज का ब्लडप्रेसर कम हो गया एवं ब्लडप्रेसर को बढाने के लिए दवाइयां दी गई। पीडित के परिजनों को भी बताया गया कि यदि वह किसी बडे अस्पताल में ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, परन्तु उनके द्वारा 1.30 पर वापस मना किया और ब्लड अरेंज करने के लिए कहा गया। बच्चेदानी के नहीं सिकूडने पर उसे निकालने का निर्णय लिया गया, क्योंकि उसके नहीं निकालने पर उससे मरीज की जान नहीं बचायी जा सकती थी। सही समय पर सही निर्णय लिया गया। डिलीवरी सही करवायी गयी थी। बच्चे को सिर को पकडकर निकालते समय हमेशा निशान आते हैं। बच्चे के कहीं भी बाहरी या बोनी इंजरी के साक्ष्य नहीं है और बच्चे के सिर पर हल्के से फोरसिप्स के निशान हैं, जो कि आउटलेट फोरसिप से डिलीवरी में हमेशा आते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में भी बच्चे का ब्रेन नॉर्मल दर्शाया गया है। गवाह अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करता है कि डिलीवरी के समय वह डॉक्टर कंवरदीप रंधावा के साथ नहीं था, परन्तु वह इससे पहले जनाना हॉस्पिटल में काम करती थी। उनके द्वारा दिये गये बयान दस्तावेज देखकर दिये गये हैं। उनके द्वारा स्वयं ऑपरेशन हाते हुए देखना जाहिर नहीं किया गया है।

25. बचाव पक्ष की ओर से द्वितीय गवाह डी0डब्ल्यू02 डॉ. रेखा जैन को परीक्षित करवाया गया है। इस गवाह ने अपनी मुंख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह डॉक्टर रंधावा को जानती है और गवाह की शैक्षणिक योग्यता एम.बी.बी.एस., एम.एस. गायिनीकोलॉजी एण्ड

आफ्टेटिक्ट्स है। वह लगभग 20 वर्षों से अपना व्यवसाय करती है। वह प्रतिदिन 2 से 3 डिलीवरी करवाती है एवं इस मामले में वह एक्सपर्ट है। प्रदर्श डी03 अनुमति का सी से डी भाग स्वयं का कलमी होना जाहिर किया है एवं यह जाहिर किया कि रेशमा की डिलीवरी के समय वह वहां मौजूद थी। डिलीवरी से पहले रेशमा के परीक्षण किया गया था एवं दिनांक 20.05.2001 को रेशमा भर्ती हुई थी, उस समय रेशमा का परीक्षण किया गया। बच्चा काफी बाहर निकल आया और सिर दिखाई दे रहा था और अंदर से जो पानी बाहर आ रहा था, वह हरे रंग का था, इसका मतलब यह है कि बच्चे ने अंदर लेट्रिंग कर दी थी और बच्चा अंदर ही खत्म हो सकता था। इसके कारण प्रसूता रेशमा के शरीर में भी जहर फैल्ने से इन्फेक्शन हो रहा था। मरीज थक जाने के कारण जोर नहीं लगा पा रही थी। बच्चे की जान बचाने के लिए आउटलेट फोरसिप्स काम में लिया गया, जो सिर के दोनों तरफ लगाया जाता है, उससे बच्चे के सिर के दोनों तरफ लगायी जाती है, उससे बच्चे के सिर को सपोर्ट करते हैं, तो बच्चा बाहर आ जाता है। प्रदर्श डी04 की उसे पूरी जानकारी है, क्योंकि वह उसके सामने ही हुआ था। गवाह के अनुसार डिलीवरी करवाने में कोई भी असावधानी या लापरवाही नहीं बरती गई, जब यह डिलीवरी हो रही थी तो वह हॉस्पिटल पूर्ण रूप से सुविधा सम्पन्न था तथा उस वक्त नर्स सरोज व ममता वार्ड लेडी मौजूद थी। बच्चे के सिर में कोई चोट कारित नहीं की गई, परन्तु मरीज रेशमा के परिजन सहयोग नहीं कर रहे थे और उन्हें ब्लड लाने के लिए कहा गया तो वह ब्लड नहीं लाये और सिजेरियन डिलीवरी के लिए सहमति नहीं दी, जब बच्चा बाहर आया, बच्चा रोया, बच्चे की केयर की और बच्चे को बेड पर शिफ्ट

कर दिया। रेशमा के बच्चे द्वारा अन्दर लेट्रिंग कर देने के कारण रेशमा एवं बच्चे को ऑबजरबेशन में रखा गया। जान बचाने के लिए आउटलेट फोरसिप्स से बच्चा बाहर निकाला गया। इस तरह रेशमा एवं उसके बच्चे की जान बचाई गई और इस प्रकार पूरी तरह सावधानी बरती गई। बच्चा पूर्णतया स्वस्थ था, उसके अंदरूनी एवं बाहरी चोट नहीं थी, सिर पर फोरसिप्स के निशान थे। डिलीवरी के बाद बच्चा दस दिन तक नॉर्मल था। रेशमा का यूट्रस निकाला गया, वह सही निकाला गया, क्योंकि जान बचाने के लिए ऐसा करना सही था। गवाह प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार करती है कि डिलीवरी के समय वह ऑपरेशन थियेटर में मौजूद थी एवं रेशमा की डिलीवरी उसके .द्वारा करवायी गयी थी। गवाह प्रतिपरीक्षा में यह जाहिर करती है कि ''जब वह हॉस्पिटल पहुंची, रेशमा का बच्चा बिल्कुल बाहर था, वह एक्जोस्टेड थी, बच्चे की धडकन कम थी और अंदर से हरे रंग का गंदा पानी आ रहा था।'' रेशमा के घरवालों को बच्चा औजारों से निकालने व खून की आवश्यकता होने की बात डॉक्टर केनी रंधावा और उसने दोनों ने बतायी थी। गवाह इस तथ्य को अस्वीकार करती है कि घरवालों को यह सूचना नहीं दी गई थी कि बच्चा ऑपरेशन से पैदा करवाना होगा एवं स्वयं से बच्चा औजारों से निकाल दिया गया हो, जिससे बच्चा सीरियस हो गया।

26. बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त दोनों गवाहान स्वयं को विशेषज्ञ साक्षी होना जाहिर करते हैं, परन्तु इस संदर्भ में उनके द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। बचाव पक्ष की गवाह डी0डब्ल्यू01 ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार करता आया है कि डिलीवरी के दौरान वह मौके पर उपस्थित नहीं था तथा उसके द्वारा दी गई समस्त साक्ष्य

दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर ही दी गई है। डिलीवरी व अन्य प्रक्रिया उसके द्वारा स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखी गई। उक्त गवाह के अतिरिक्त प्रस्तुत अन्य गवाह डी.डब्ल्यू.2 रेखा जैन अपनी प्रतिपरीक्षा में यह जाहिर करती है कि डिलीवरी उनके एवं डॉक्टर रंधावा के द्वारा मिलकर करवायी गयी थी एवं उनके द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई थी। गवाह के यदि बयानों का अवलोकन करें तो गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में यह जाहिर करती है कि डिलीवरी के लिए काम में लिया गया आउटलेट फोरसिप्स उपकरण सिर के दोनों तरफ लगाया जाता है, जबकि बच्चे के संदर्भ में प्रस्तुत दस्तोवज एवं मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार नवजात शिशु के ललाट पर उपकरण के निशान थे। इसके अतिरिक्त गवाह अपनी साक्ष्य में यह भी जाहिर करती है कि बच्चा बाहर आने के पश्चात् रोया भी था एवं वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रसव के पश्चात् बच्चे के रोया हो, यह साबित नहीं आता है, किन्तु गवाह डी0डब्ल्यू02 के अनुसार बच्चा रोया था। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए उनियारा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। उक्त गवाह के बयानों से यह जाहिर आता है कि वह मौके पर उपस्थित नहीं थी एवं उनके द्वारा दिये गये बयान दस्तावेजी साक्ष्य से इतर जाकर दिये हैं।

27. अभियुक्ता के विरूद्ध मेडिकल नेग्लीजेन्सी करने का आक्षेप अधिरोपित है, जिसके संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी11 के अनुसार मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था। मेडिकल बोर्ड द्वारा दस्तावेज प्रदर्श पी06 चोट प्रतिवेदन, प्रदर्श

पी08 एक्स–रे रिपोर्ट, प्रदर्श पी09 चोट प्रतिवेदन, प्रदर्श पी010 एक्स–रे रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल बोर्ड .द्वारा अपनी रिपोर्ट राय दी गई है, जो कि प्रदर्श पी10 की पुश्त पर अंकित है, जिसके अनुसार that sign auggative of that she recieve head injury (suboural lemotone in Rx occivital region & in mid line of .....along in the.....) was greivence hurt in dangering to life caused by the application of meclanical device prolonged obstracted labour. .....'' है। इसके अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में दस्तावेज प्रदर्श पी12 रेडियोलॉजिस्ट की राय व अन्य दस्तावेजात के आधार पर मेडिकल बोर्ड की राय दर्ज है। मेडिकल बोर्ड के सदस्यों में से डॉ. एम.आर. गोयल आचार्य एवं विभागाध्यक्ष फोरेन्स मेडिसिन एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर को अभियोजन की ओर से पी0डब्ल्यू07 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसके द्वारा अपने सशपथ बयानों में भी यह कथन किया है कि राय यह दी कि साईस यह इंगित करते हैं कि बेबी रेशना को हैड इंजरी हुई थी, जो कि दाहिने ऑक्सीपीटल रीजन मिडलाईन एवं इन्टरहेमेस्पीकल शव डयूटल हेमेटोमा था, जिस कारण यह चोट गंभीर थी और लाईफ के लिय भी इनडेन्जस थी, जो कि मैकेनिकल डिवाईस या प्रोलोनड ओक्टेक्ट्रक लेवर के कारण थी। मेडिकल बोर्ड के संबंध में अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह पी0डब्ल्यू10 डॉ. बीना भटनागर द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह जाहिर किया है कि प्रसव प्रोलोग्ंट नहीं था। साथ ही प्रसव ऑब्सट्रक्टेड भी नहीं था। जबकि प्रदर्श पी10 की पुस्त पर अंकित मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार प्रोलोग्ंड एण्ड ऑब्सट्रक्टेड था। उक्त गवाह के अनुसार आउटलेट फोरसिप्स का इस्तेमाल प्रसव के लिए सही था।

उक्त गवाह द्वारा प्रदर्श पी10 के ई से एफ भाग में अंकित तथ्यों से भिन्न प्रसव के प्रोलोग्ंट एवं ऑब्सट्रक्टेड होने का कथन किया है, परन्तु मुख्य परीक्षा में गवाह पी0डब्ल्यू10 डॉ. बीना भटनागर द्वारा प्रदर्श पी10 के ई से एफ भाग के नीचे किये गये स्वयं के हस्ताक्षरों को पूर्णतया स्वीकार करती है। गवाह द्वारा यह भी कथन किया है कि वह बच्चों की डॉक्टर नहीं होने के कारण बच्चों की क्षति से लकवाग्रस्त होने के संबंध में कोई भी राय जाहिर नहीं करती है। मेडिकल बोर्ड के सदस्यों में पी0डब्ल्यू07 डॉ. एम.आर. गोयल आचार्य एवं पी0डब्ल्यू010 डॉ. बीना भटनागर के अतिरिक्त अन्य गवाह उषा आचार्य साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई, परन्तु बार्ड के सदस्यों में से उपस्थित गवाह एम.आर. गोयल एवं बीना भटनागर द्वारा मेडिकल बोर्ड की सदस्य उषा आचार्य के हस्ताक्षरों को स्वयं के साथ कार्य करने के आधार पर पहचाना है। पी0डब्ल्यू07 डॉ. एम.आर. गोयल द्वारा अपनी सशपथ साक्ष्य में यह भी जाहिर किया है कि सुबह 10.56 बजे रंधावा हॉस्पिटल जयपुर पर फोर्ससेज डिलीवरी की मदद से मेल बच्चा पैदा हुआ एवं मिकोनियम प्रेजेन्ट होने के कारण बच्चे को उनियारा अस्पताल रेफर कर दिया गया। गवाह के सशपथ साक्ष्य के अनुसार नवजात शिुश के राईट फोर हैड में फोसप्स के निशान के अलावा इसके शरीर पर बाहरी तौर पर कोई सोफ्ट इश्यू नहीं थी। गवाह के अनुसार बच्चे के ब्रेन एवं चेष्ट का एक्सरे नॉमर्ल था एवं दिनांक 29.05.2001 को मेडिकल बोर्ड द्वारा किये गये परीक्षण के अनुसार बच्चे के एक रगड चोट, जिसमें खरूट जमा हुआ था, जो सामने ललाट पर दाहिनी ओर भौंह के बाहर से ऊपर की ओर जा रहा था। उक्त चोट के बाबत् साईन्स इस बात को इंगित करती है

कि बेबी रेशमा को हैड इन्जरी (सब ट्मोबल हिमीटोया) हुई। इन राईट आम्पीपीटल रिजन एण्ड इन मिडलाईन एक्सेनटींग अलोन विद इन्टर हेमिमिफलीबल फियर, जो कि गंभीर चोट थी। उक्त चोट के संबंध में गवाह पी0ड010 बीना भटनागर द्वारा भी अपनी सशपथ साक्ष्य में माथे पर एक हल्का सा निशान होने बाबत् कथन किया है तथा यह भी जाहिर किया है कि ''यह निशान आउटलेट फोरसिप्स प्रोसिस का था, जो कि डिलीवरी प्रोसेस में आने की संभावना रहती है। उक्त दोनों ही गवाहान विशेषज्ञ साक्षी है, जिनके द्वारा बच्चे के ललाट पर आये निशान आउटलेट फोरसिप्स डिलीवरी के कारण आना जाहिर किया है। हालांकि उक्त दोनों ही गवाहान द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उक्त चोट/निशान के अतिरिक्त नवजात शिशु के शरीर पर अन्य कोई चोट के निशान नहीं थे एवं ब्रेन की सोनोग्राफी के समय बच्चा नॉर्मल था एवं चेष्ट का एक्स–रे भी नॉर्मल था, परन्तु बचाव पक्ष द्वारा स्वयं ही आउटलेट फोरसेप्स के संदर्भ में प्रस्तुत दस्तावेजात का यदि अवलोकन करें तो प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि यदि आउटलेट फोरसिप्स उपकरण का यदि पूर्ण सावधानी से इस्तेमाल किया जावे तो उक्त उपकरण से नवजात शिशु के दाहिनी भौह पर प्रश्नगत चोट आना संभवन नहीं था। यदि आउटलेट फोरसिप्स उपकरण का पूर्ण सकर्तता एवं सावधानी से प्रयोग किया जावे तो उपकरण नवजात शुश की कनपटी की तरफ से अपनी पकड बनाते हुए बच्चे को हल्के दबाव के साथ बाहर निकालता है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में मेडिकल बोर्ड की राय, गवाहान की साक्ष्य एवं अन्य दस्तावेजात से यह जाहिर आता है कि नवजात शुश के ललाट पर भौंह के ऊपर की तरफ निशानी थी।

नवजात शिशु के शरीर पर आई इस प्रकार की चोट को किसी अन्य .घटनाक्रम के आधार पर उत्पन्न होना पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर साबित नहीं आता है। मेडिकल बोर्ड द्वारा पीडिता रेशमा के नवजात शिशु का मेडिकल एक्जामिनेशन दिनांक 29.05.2001 को सायंकाल 4.30 बजे उनियारा अस्पताल में किया गया। कहने का अभिप्राय है कि उक्त दिवस नवजात शिशु की आयु 8 दिवस थी, ऐसी अवस्था में शिशु के माथे/ललाट पर उपरोक्त प्रकृति की चोट आना संभावित नहीं माना जा सकता।

28. बचाव पक्ष के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि प्रसूता के परिजन प्रत्येक स्तर पर नॉर्मल डिलीवरी करवोन के लिए दबाव बना रहे थे, जबकि प्रसूता के पूर्व के मेडिकल दस्तावेजात को देखकर यह स्पष्ट था कि पूर्व में प्रसूता के सिजेरियन डिलेवरी हुई थी, जो कि प्रसूता की प्रथम डिलीवरी थी। उक्त डिलीवरी में आये टांक इतने पतले व हल्के थे, जिससे कि प्रसूता की द्वितीय डिलीवरी/प्रश्नगत डिलीवरी नॉर्मल होना संभव नहीं था। इस संबंध में न्यायालय का यह मत है कि बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कोई भी दस्तोवज/प्रसिक्रेप्शन पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह समाधान किया जा सके कि उनके द्वारा प्रसूता एवं उनके परिजनों को डिलीवरी से पूर्व उक्त राय दी जा चुकी हो एवं जाहिर किया हो कि प्रसूता की डिलीवरी केवल सिजेरियन ही करवायी जा सकती है अन्य माध्यम से से डिलीवरी करवाये जाने पर प्रसूता व गर्भस्थ शिशु की जान को खतरा हो सकता है।

29. बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2015 CRI. L.J. 1777 Dr. MARRYKUTTY AND ANOTHER V. STATE

OF KERALA में मेडीकल बोर्ड द्वारा डॉक्टर के द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाने की भी साक्ष्य नहीं पाई जाने के संबंध में सिद्धान्त प्रतिवादित किए गए है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रदर्श पी10 की पुश्त पर अंकित मेडिकल बोर्ड की राय के आधार पर कारित चोट गंभीर व endanger to life थी।

30. न्यायिक दृष्टांत 2016 (3) R. Cr. D. 251 (RAJ.) Dr. JAIPRAKASH AND OTHR में सामान्य प्रसव से जन्मे शिशु को सरकारी अस्पताल में उसकी हालत गिरने पर रैफर किए जाने के संबंध में सिद्धान्त प्रतिवादित किया गया है तथा मृत्यु का कारण रैफर करने में हुई देरी को नहीं माना है। हस्तगत प्रकरण में पीडित को रैफर किये जाने का के संदर्भ में कोई भी प्रश्न नहीं उठाया गया है, अपितु आरोपी द्वारा किए गए उपचार के संदर्भ में है।

31. बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 1986 ACJ 696 DR. AJEET KUMAR V/S STATE OF PUNJAB में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रसव प्रक्रिया के दौरान फोरसिप्स के उपयोग करने के संबंध में चिकित्सक सर्वोत्तम जज होती है। न्यायिक दृष्टांत AIR 2009 SC. 2049 MARTIN F. D'SOUZA V. MOHD. ISHFAQ में यह सिद्धान्त अभिनिर्धारित किया गया है कि एक चिकित्सा व्यवसायी को लापरवाही बरतने के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। एक चिकित्सा व्यवसायी उसी स्थिति में उत्तरदायी माना जावेगा जब कि उसका आचरण एक सक्षम व्यवसायी के मानकों से नीचे गिर गया हो। न्यायिक दृष्टांत 1998 CRI. L. J. 1005 Dr. BHASKAR ACHARYA AND OTHR. V. CHANDRASHEKHAR SHERVERGAR में माननीय न्यायालय

.द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आमतौर पर किसी उपचार के लिए भिन्न–भिन्न विधियां दी जाती सकती है, किन्तु एक चिकित्सक द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि उसके द्वारा किस विधि को अपनाया जाकर उपचार किया जावे।

32. उक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्त शिरोधार्य है किन्तु हस्तगत प्रकरण में जबकि अभियुक्ता को प्रसूता/गर्भवती महिला रेशमा के संबंध में इस तथ्य का ज्ञान था कि पीडिता की नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं थी, क्योंकि उसका पूर्व प्रसव सीजेरियन किया गया था, ऐसी स्थिति में फोरसिप्स का इस्तेमाल डिलीवरी के दौरान किया जाना नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त बच्चेदानी निकाल जाने बाबत् सहमति अथवा सूचना नहीं दिया जाना भी सम्मिलित है। पीड़िता की मेडिकल हिस्ट्री को जानने के उपरान्त भी निरन्तर नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास किया गया तथा उतावलेपन एवं लापरवाहीपूर्वक शिशु को आउटलेट फोरसिप्स से चोट कारित की गई।

33. बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत (2005) 6 SCC JACOB MATHEW V/S STATE OF PUNJAB & OTHER में माननीय उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सकीय उपेक्षा के संबंध में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि आपराधिक उपेक्षा एवं सिविल उपेक्षा में अन्तर है। किसी भी चिकित्सकीय वृत्तिक (Medical Professional) को आपराधिक विधि में उपेक्षा के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए आपराधिक .मनःस्थिति भी विद्यमान होनी चाहिए तथा आपराधिक लापरवाही साबित करने के लिए लापरवाही का स्तर उच्चतर होना चाहिए। गवाह पी0डब्ल्यू02 रेशमा प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य को स्वीकार करती है कि

वर्ष 1998 में उसके एक बच्चा महिला चिकित्सालय में ऑपरेशन से पैदा हुआ था, जो पेट काटकर पैदा हुआ था, जिसके उपरान्त वह एक सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रही थी। वह डॉक्टर के पास पहली डिलीवरी के कागजात लेकर नहीं गई थी, लेकिन उन्हें यह बता दिया था कि पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ है। परिवादिया ने स्वयं अभियुक्ता से अपनी डिलीवरी सिजेरियन करने हेतु कहा था तथा अभियुक्ता ने स्वयं पीडिता एवं उसके पति पी0डब्ल्यू06 को यह सलाह दी गई थी कि पूर्व प्रसव के टांके हल्के है, जिस कारण से नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवायी जा सकती, फिर क्यों अभियुक्ता के द्वारा पीडिता की डिलीवरी नॉर्मल करने का प्रयास निरन्तर किया जाता रहा तथा नॉर्मल डिलीवरी के प्रयास में गर्भस्थ शिशु को लापरवाहीपूर्वक जबर्दस्ती आउटलेट फोरसिप्स से खींचने के कारण उसके गंभीर प्रकृति की चोट ललाट पर आई।

34. न्यायिक दृष्टांत (2010) 3 SCC. 538 JAVED MASOOD AND OTHER V. STATE OF RAJASTHAN धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित है तथा 2012(1) Cr. L.R. (RAJ.) 181] N.K. AGRAWAL (DR.) V. STATE OF RAJASTHAN धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित है तथा 2012(1) Cr. L.R. (RAJ.) 181] N.K. AGRAWAL (DR.) V. STATE OF धारा 304–ए भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित है, जबकि हस्तगत प्रकरण धारा 336, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित है। उक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा नहीं होने के कारण बचाव पक्ष की कोई मदद नहीं करते हैं।

35. न्यायिक दृष्टांत (2011) 14 SCC. 448 ASSOO V. STATE OF M.P. धारा

306, 304–बी भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित है, जिसमें अभियोजन के गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए है, जिनके द्वारा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की गई है। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत कोई भी गवाह पक्षद्रोही घोषित नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त गवाहान ने अभियोजन कहानी की ताईद परस्पर एकस्वर में की है, जिससे अभियुक्ता कंवरदीप रंधावा की उपचार के दौरान लापरवाही एवं उपेक्षा प्रकट होती है।

36. न्यायिक दृष्टांत AIR 1973 SC. 501 THULIA KALI V. STATE OF TAMILNADU में प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करवाये जाने के संबंध में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है, जबकि हस्तगत प्रकरण में रंधावा हॉस्पिटल में दिनांक 20.05.2001 को पीडिता को भर्ती करवाया दिनांक 21.05.2001 को पीडिता की डिलीवरी हुई, जिसमें पीडिता के नवजात शिशु को सांस लेने में तकलीफ होने के कारण उसे उक्त दिनांक अर्थात 21 मई, 2001 को ही उनियारा अस्पताल में भर्ती कराया। दिनांक 22.05.2001 को दिन के 12 बजे परिवादी ने अपनी पत्नी को महिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। जहां उसे बच्चेदानी निकाले जाने का तथ्य ज्ञान में आने पर उसके द्वारा तुरन्त कार्यवाही अमल में लायी जाकर कार्यवाही की गई है। प्रकरण में पीडिता की शारीरिक परिस्थितियों को देखते हुए परिवादी पक्ष से यह आशा किया जाना संभव नहीं है कि वह अपनी पत्नी एवं नवजात शिशु के उपचार की प्रक्रिया को छोडकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाये की कार्यवाही पहले अमल में लाये। इस प्रकार प्रकरण में देरी से रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने का तथ्य स्वीकार्य नहीं है।

37. पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान पी.डब्ल्यू.–1 जरीना, पी.डब्ल्यू.–2 रेशमा, पी.डब्ल्यू.–3 मोहम्मद अयुब, पी.डब्ल्यू.–6 मोहम्मद इलियास के बयानों से तथा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी07 के अवलोकन से यह जाहिर आता है कि अभियुक्ता द्वारा डिलीवरी से पूर्व उपचार के दौरान प्रसूता को नॉर्मल प्रसव करवाये जाने का आश्वासन दिया था। यदि अभियुक्ता डॉक्टर कंवरदीप रंधावा बात के लिए आश्वस्त थी कि पूर्व में सिजेरियन प्रसव करवाये जाने के कारण प्रसूता की द्वितीय डिलीवर/प्रश्नगत डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती है तो उन्हें प्रसूता एवं उनके परिजनों को सिजेरियन डिलीवरी का विकल्प चुनने बाबत् अपनी ठोस राय देने चाहिए थी। उनके द्वारा ऐसी कोई राय दिया जाना पत्रावली पर प्रकट नहीं होता है। गवाह पी0ड03 मोहम्मद अयुब के हस्ताक्षर प्रदर्श डी03 कन्सेट लेटर पर होना अभियुक्त पक्ष की ओर से जाहिर किया गया है तथा यह भी जाहिर किया गया है कि प्रसूता के परिजन वर–वक्त डिलीवरी मौके पर मौजूद थे। जबकि इसके विपरीत प्रसूत के परिजन/उक्त गवाहान ने यह जाहिर किया है कि उनके द्वारा किसी भी दस्तावेज पर डिलीवरी से पहले हस्ताक्षर नहीं किये गये थे और प्रत्येक दस्तावेज पर हस्ताक्षर डिलीवरी होने के उपरान्त ही करवाये गये थे। उक्त गवाह पी0डब्ल्यू03 मोहम्मद अयुब अपने बयानों में अडिंग रहा है और यह जाहिर करता है कि उसके द्वारा प्रदर्श पी03 पर भी हस्ताक्षर डिलीवरी के बाद ही किये गये हैं, जिसमें बच्चेदानी निकाल दिये जाने का अंकन है। शेष गवाहान ने अपने सशपथ बयानों में यह जाहिर किया है कि उन्हें प्रसूता रेशमा की बच्चेदानी निकाले जाने के संदर्भ में न तो राय दी गई थी, न ही सहमति ली गई थी, न ही बच्चेदानी

निकाले जाने की सूचना दी गई थी। उन्हें बच्चेदानी निकाले जाने की सूचना महिला चिकित्सालय में डॉक्टरों द्वारा परीजन किये जाने पर पता चली, जो कि प्रदर्श पी06 है।

38. बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान डी0डब्ल्यू02 डॉ. रेखा जैन का यह कहना है कि वह एम.बी.बी.एस. एम.एस. गायिनीकॉलोजी एण्ड आफ्टेटिक्टस है। प्रसूता की डिलीवरी के समय वह स्वयं उपस्थित थी। उसके द्वारा डिलीवरी से पहले रेशमा का परीक्षण किया गया था। डिलीवरी के समय भी उसके द्वारा परीक्षण किया गया था। परन्तु उक्त गवाह किसी भी स्तर पर यह जाहिर नहीं करती है कि प्रसूता की डिलीवरी एक विशेषज्ञ होने के नाते उसके .द्वारा करवायी गयी हो। जबकि उक्त गवाह स्वयं अपनी साक्ष्य में यह कथन करती है कि प्रकरण में अभियुक्त कंवरदीप रंधावा एम.बी.बी.एस. और डी.जी.ओ. है एवं मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया के अनुसार सर्जरी करने के लिए न्यूनतम योग्यता मास्टर ऑफ सर्जरी है, जो कि डॉ. के.एन. रंधावा अर्थात् कंवरदीप रंधावा के पास उक्त योग्यता नहीं थी।

39. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तोवजी एवं मौखिक साक्ष्य से पत्रावली पर यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि अभियुक्ता द्वारा बरती गई मेडिकल लापरवाही के कारण ही प्रसूता रेशमा के नवजात शिशु के माथे पर भौंह के पास गंभीर चोट कारित हुई।

40. बचाव पक्ष के अधिवक्ता का दौराने बहस यह भी तर्क रहा है कि प्रसव से पूर्व एवं प्रसव के दौरान गर्भास्य शिशु द्वारा गर्भ में ही मल किये जाने के कारण शिशु को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इस कारण से फोरसिप्स डिलीवरी करवायी गई। परिवादी पक्ष/अभियोजन पक्ष का इस स्तर पर यह तर्क रहा है कि बच्चे के गर्भास्य शिशु की

उक्त अवस्था डॉक्टर केनी रंधावा द्वारा दी गई मेडिसिन के कारण के उत्पन्न हुए साईड इफेक्ट के कारण हुई है। यदि बचाव पक्ष के इस तर्क को सही मान लिया जावे तो भी गवाह पी0डब्ल्यू07 डॉ. एम.आर. गोयल व पी0डब्ल्यू010 बीना भटनागर के बयान एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह जाहिर है कि डिलीवरी के काम में लिये गये उपकरण के कारण नवजात शिशु के उक्त चोट/खरोंच ललाल पर आई थी, जबकि उपकरण के प्रयोग के दौरान उक्त उपकरण का स्पर्श ललाट पर नहीं होकर कनपटी के दोनों तरफ होना चाहिए था। मेडिकल बोर्ड की ऑपिनियन के अनुसार नवजात शिशु के गंभीर क्षति होना साबित है एवं प्रसूता की बच्चेदानी बिना प्रसूता एवं उसके परिजनों की सहमति बच्चेदानी निकालने से पूर्व लिया जाना साबित नहीं आता है।

41. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित है कि अभियुक्ता द्वारा दिनांक 21.05.2001 को किसी समय परिवादी मोहम्मद इलियास की पत्नी श्रीमती रेशमा का प्रसव उपेक्षा, लापरवाहीपूर्वक एवं उतावलेपन से करवाकर रेशमा के नवजात शिशु को चिमटेनुमा उपकरण (आउटलेट फोरसिप्स) से अत्यधिक दबाकर खींच निकालने से श्रीमती रेशमा के नवजात शिशु के भौंह के पास गंभीर चोट कारित कर मॉ व बच्चे दोनों की जान को जान–बूझकर खतरे में डालने का कार्य किया एवं परिवादिया की पत्नी रेशमा एवं परिवादी की बिना अनुमति के बच्चेदानी निकाल कर स्थायी अपंगता कारित की। रेशमा के बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी क्वाड्रिप्लेजिआ नामक बीमारी एवं नवजात शिशु को गंभीर दिमागी चोट लगी। जिसके कारण परिवादी की पत्नी रेशमा एवं

उसके नवजात शिशु के मानव जीवन को व्यक्तिक क्षेम संकटापन्न कर परिवादिया एवं उसके शिशु को साधारण एवं गंभीर उपहतियां कारित हुई। उपरोक्त विवेचन की रोशनी में अभियुक्ता को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 336, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

42. अतः अभियुक्त डॉ. सुश्री कंवरदीप रंधावा उर्फ कैनी पुत्री श्री मलकीयतसिंह, उम्र तत्समय 37 साल, जाति जटसिख, निवासी रंधावा हॉस्पिटल, दीपक मार्ग, पुलिस थाना मोती डूंगरी, जयपुर को धारा 336, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(पुनीत सोनगरा)
महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 03
जयपुर महानगर द्वितीय (राज.)

सजा के बिन्दु पर सुना गयाः–

43. अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्तागण का तर्क रहा कि अभियुक्ता का प्रथम अपराध है तथा वह महिला है। उसके द्वारा वर्ष 2001 से अन्वीक्षा भुगती गई है। अतः आरोपित अपराध में परिवीक्षा का लाभ दिया जाए। सहायक अभियोजन अधिकारी एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी पक्ष द्वारा तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया कि अभियुक्ता पर आरोपित अपराध की गंभीरता के आधार पर उन्हें विधि विहित दण्ड से दण्डित किया जाने का निवेदन किया।

44. उभय पक्ष को सुना गया, तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। यह स्वीकार्य है कि हस्तगत प्रकरण

सन् 2001 से अन्वीक्षाधीन है तथा अभियुक्ता द्वारा निरन्तर अन्वीक्षा की पीडा भुगती है। पत्रावली पर ऐसा तथ्य नहीं है जिसके आधार पर अभियुक्ता को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के लाभ से वंचित किए जाने का न्यायोचित आधार माना जा सके। अतः अपराध की प्रकृति एवं प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए, न्यायालय के मत में अभियुक्ता को तुरन्त सजा दिए जाने के बजाय उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभान्वित किया जाना न्यायसंगत होगा।

आदेश

45. अतः अभियुक्त डॉ. सुश्री कंवरदीप रंधावा उर्फ कैनी पुत्री श्री मलकीयतसिंह, उम्र तत्समय 37 साल, जाति जटसिख, निवासी रंधावा हॉस्पिटल, दीपक मार्ग, पुलिस थाना मोती डूंगरी, जयपुर को धारा 336, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषसिद्ध किया जाकर, अभियुक्ता को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 04 का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्ता दो वर्ष की अवधि के दौरान सदाचार एवं परिशांति बनाए रखे, इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करे तथा न्यायालय द्वारा सजा भुगतने हेतु बुलाए जाने पर उपस्थित न्यायालय होने की शर्त के साथ पॉच हजार रूपये की जमानत एवं इसी कदर राशि का स्वयं का बंध पत्र न्यायालय की संतुष्टी का पेश कर तस्दीक करा देवे तो उसे परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे। साथ ही साथ अभियुक्ता, पीडिता/गर्भवती रेशमा एवं उसके नवजात शिशु को धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों में बतौर क्षतिपूर्ति 1,00,000/–रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये) की राशि भी जमा कराये, जो बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार पीडिता/गर्भवती रेशमा को दिलवाई जावे।

46. अभियुक्ता के जमानत–मुचलके बाबत् हाजिरी अदालत, निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त को धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत जमानत, मुचलके तादादी दस हजार रूपये के पेश करने के आदेश दिये जाते है।

(पुनीत सोनगरा)
महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 04
जयपुर महानगर द्वितीय

47. आदेश आज दिनांक 24.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पुनीत सोनगरा)
महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 04
जयपुर महानगर द्वितीय